<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

<u>सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य तथा</u>
<u>श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष</u>
<u>आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से</u>

<u>आ.अ.सं. 970 तथा 971/इंदौर/2016</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2012-13 तथा 2013-14</u>

एस.के.तोतला इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., नीमच	बनाम	आयकर उपायुक्त रतलाम
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएचसीएस 7914 एच		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं
राजस्व की ओर से	श्री आर.एस.आंबेडकर, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	18.05.2022
उद्घोषणा तिथि	23.05.2022

<u>आदेश</u>

<u>सुश्री सुचित्रा आर.कांबले, न्यायिक सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), उज्जैन के आदेशों क्रमशः दिनांक 29.07.2016 तथा 17.06.2016 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर उपायुक्त, रतलाम द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेशों दिनांक 18.03.2015 तथा 31.12.2015 से उद्भूत है ।

2. इन अपीलों के संबंध में, निर्धारिती के द्वारा फार्म सं. 5 प्रस्तुत करके सूचित किया गया है कि कि निर्धारिती ने “विवाद से विश्वास योजना” में आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा

फार्म सं. 5 जारी किया गया है । “विवाद से विश्वास योजना,2020” हेतु विरचित नियमों के अनुसार निर्धारिती द्वारा वर्तमान अपीलों को वापिस लिया जाना अपेक्षित है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि द्वारा इसका विरोध नहीं किया है । अतः हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि राजस्व द्वारा संबंधित निर्धारिती को इस योजना का लाभ किसी भी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 23.05.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(सुचित्रा आर. कांबले)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 23.05.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल